



2026:AHC-LKO:22743

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट-ए संख्या - 3725 वर्ष 2025**

शिव पूजन सिंह

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, लखनऊ एवं 2 अन्य

.... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अभिषेक द्विवेदी, प्रदीप चंदोला

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-18**माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार**

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोष की प्रार्थना की है:-

i) उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 में निहित प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 19.10.2023 के आदेश को निरस्त किया जाए।

ii) उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए रिट याचिका के संलग्नक संख्या 2 में निहित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर द्वारा पारित दिनांक 13.11.2024 के आदेश को निरस्त किया जाए।

iii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को निर्देशित किया जाए कि वे प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशक, उ.प्र., लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 19.10.2023 तथा प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर द्वारा पारित दिनांक 13.11.2024 के रिट याचिका के क्रमशः संलग्नक संख्या 1 एवं 2 में निहित प्रश्नगत आदेशों को प्रभावी न करें।

iv) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता की सेवाओं का नियमितीकरण, उ०प्र० समूह-ग पदों पर दैनिक वेतन नियुक्ति का नियमितीकरण (उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर) नियमावली, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत, माननीय खंडपीठ द्वारा विशेष अपील संख्या 339 वर्ष 2004 में पारित दिनांक 10.07.2014 के निर्णय एवं आदेश के अनुसार करें।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

v) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को देय तिथि से प्रथम एवं द्वितीय आश्वस्त कैरियर प्रगति की बकाया प्रदान करें।

vi) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए उसे फोरमैन के पद पर उस तिथि से पदोन्नत करें, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है।"

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 18.05.1992 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर में प्रशिक्षक (यांत्रिक प्रारूपकार) के पद पर दैनिक वेतन आधार पर नियुक्त किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता तथा अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण नहीं किया गया था, अतः उनके संघ ने रिट याचिका संख्या 5683 (एसएस) वर्ष 1995, यू०पी० राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दैनिक वेतन कर्मचारी कल्याण समिति, लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य दाखिल की, जिसे दिनांक 16.02.2004 के निर्णय एवं आदेश द्वारा स्वीकार किया गया प्रतिवादियों को निर्देश देते हुये कि वे संघ के सदस्यों, याचिकाकर्ता सहित, के नियमितीकरण के प्रकरण पर, विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध, उ०प्र० तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण (लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर के पदों पर) नियमावली, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत विचार करें।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त रिट याचिका दाखिल करने से पूर्व, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष पृथक रिट याचिका संख्या 560 (एसएस) वर्ष 1993 भी दाखिल की थी, जिसे दिनांक 27.05.2004 को निस्तारित किया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया। याचिकाकर्ता की सेवाओं का नियमितीकरण दिनांक 30.06.2005 के आदेश द्वारा किया गया। उक्त नियमितीकरण आदेश को रिट याचिका के संलग्नक संख्या 5 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है।

रिट याचिका संख्या 5683 (एसएस) वर्ष 1995 में पारित दिनांक 16.02.2004 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध, राज्य सरकार ने इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील संख्या 339 वर्ष 2004 प्रस्तुत की। उक्त विशेष अपील को दिनांक 10.07.2014 के निर्णय एवं आदेश द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, जिसमें यह निर्णयित किया गया कि चूंकि प्रतिवादी संघ के सदस्यों का सेवाओं में नियमितीकरण पूर्व में ही किया जा चुका था, उनके नियमितीकरण को उ०प्र० समूह 'ग' पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का नियमितीकरण (उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर) नियमावली, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत किया हुआ माना जाएगा, न कि उ०प्र० नियमितीकरण नियमावली, 1979 के अंतर्गत।

दिनांक 10.07.2014 के निर्णय एवं आदेश का प्रभावी भाग निम्नवत् उद्धृत किया जाता है:-

"विद्वान् स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, आईटीआई में कार्यरत 36 प्रशिक्षकों का नियमितीकरण दिनांक 21.9.2001 के आदेश द्वारा उ०प्र० समूह 'ग' पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का नियमितीकरण (उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर) नियमावली, 1998 के प्रावधानों के अनुसार पहले ही किया जा चुका है और अतः प्रतिवादी संघ के वे सदस्य, जिनका नियमितीकरण किया जा चुका है, को उपर्युक्त नियमावली, 1998 के अंतर्गत नियमितीकृत माना जाएगा, न कि उ०प्र० तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण (लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर के पदों पर) नियमावली, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हम विद्वान स्थायी अधिवक्ता के तर्कों में बल पाते हैं। चूंकि प्रतिवादी संघ के सदस्यों का सेवाओं में नियमितीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है, अतः यह उपबंधित किया जाता है कि उनका नियमितीकरण उ०प्र०समूह 'ग' पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का नियमितीकरण (उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर) नियमावली, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत किया हुआ माना जाएगा, न कि उ०प्र० तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण (लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार के भीतर के पदों पर) नियमावली, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 16.02.2004 का निर्णय एवं आदेश उपर्युक्त शर्तों में संशोधित किया जाता है।

विशेष अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।"

तथापि, विरोधी पक्षकार संख्या 2 ने खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 10.07.2014 के निर्णय एवं आदेश का अनुपालन करने के स्थान पर, दिनांक 23.11.2016 के आदेश द्वारा, शासनादेश दिनांक 13.08.2015 के प्रावधानों के अंतर्गत, उक्त आदेश की तिथि से प्रभावी करते हुए याचिकाकर्ता की सेवाओं का नियमितीकरण किया। उक्त कार्यवाही खंडपीठ द्वारा अपने दिनांक 10.07.2014 के निर्णय में जारी निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना एवं उल्लंघन में की गई।

उपर्युक्त दिनांक 23.11.2016 के आदेश से व्यथित होकर, जगदीश प्रसाद वर्मा ने रिट याचिका संख्या 171 (एसएस) वर्ष 2017 दाखिल कर उसे चुनौती दी, जिसमें दिनांक 05.01.2017 के अंतरिम आदेश द्वारा दिनांक 23.11.2016 के आदेश के संचालन पर स्थगन प्रदान किया गया। उक्त अंतरिम आदेश के अनुपालन में, विरोधी पक्षकारों ने दिनांक 22.03.2017 के आदेश द्वारा, दिनांक 23.11.2016 के आदेश के माध्यम से प्रदत्त याचिकाकर्ता के नियमितीकरण को उक्त रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन स्थगन में रखा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उक्त रिट याचिका अंततः दिनांक 08.01.2021 के निर्णय एवं आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई। तथापि, उक्त निर्णय के विरुद्ध, जगदीश प्रसाद वर्मा ने विशेष अपील संख्या 80 वर्ष 2021 प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार किया गया तथा विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश अपास्त कर दिया गया। खंडपीठ ने यह निर्देश दिया कि उक्त अपीलकर्ता को पूर्ववर्ती खंडपीठ के दिनांक 10.07.2014 के निर्णय के अनुसार, अर्थात् उसकी प्रारंभिक नियमितीकरण की तिथि से, यद्यपि नियमावली, 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत, नियमितीकृत माना जाए।

विशेष अपील संख्या 339 वर्ष 2004 तथा विशेष अपील संख्या 80 वर्ष 2021 में दिए गए निर्णयों का संज्ञान लेते हुए, इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने रिट-ए संख्या 1423 वर्ष 2024 (*जैनुल अहमद अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य*) में रिट याचिकाओं को स्वीकार किया, यह निर्णयित करते हुए कि दिनांक 10.07.2014 के निर्णय के पश्चात पारित सभी आदेश अवैध एवं मनमाने हैं तथा उन्हें खंडपीठ द्वारा विधिवत् निरस्त किया गया। न्यायालय ने आगे निर्णयित किया कि प्रकरण में भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है जब संपूर्ण विवाद विशेष अपील संख्या 80 वर्ष 2021 में खंडपीठ द्वारा निर्णीत किया जा चुका है तथा इन निर्णयों पर विचार करते हुए रिट याचिका स्वीकार की गई और दिनांक 19.10.2023 का आदेश निरस्त किया गया।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का प्रकरण *जैनुल अहमद अंसारी* के प्रकरण के पूर्णतः समान है तथा याचिकाकर्ता उक्त प्रकरण में दिए गए निर्णय के आधार पर समानता का दावा करने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एकमात्र अंतर यह है कि वर्तमान याचिकाकर्ता के प्रकरण में रिट याचिका के संलग्नक संख्या 2 के माध्यम से एक परिणामिक आदेश भी पारित किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान् स्थायी अधिवक्ता ने, याचिकाकर्ता के तर्कों का लिखित निर्देशों के आधार पर विरोध करते हुए, निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि उक्त लिखित निर्देशों के प्रस्तर 14 में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता का प्रकरण *जैनुलद्दीन अहमद अंसारी* के प्रकरण के समान है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, तथा विशेष अपील संख्या 339 वर्ष 2004 में दिनांक 10.07.2014 के निर्णय के साथ-साथ विशेष अपील संख्या 80 वर्ष 2021 में दिए गए निर्णय पर भी विचार करते हुए, वर्तमान याचिका में उठाया गया समस्त विवाद उपर्युक्त निर्णयों द्वारा निस्तारित हो चुका है। फलस्वरूप, दिनांक 10.07.2014 के पश्चात् पारित सभी आदेश, जो उसमें स्थापित विधिक सिद्धांत के विपरीत हैं, अवैध एवं मनमाने घोषित किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है। प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा पारित रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 में निहित प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.10.2023 और प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर द्वारा पारित रिट याचिका के संलग्नक संख्या 2 में निहित आदेश दिनांक 13.11.2024, एतदपश्चात् निरस्त किए जाते हैं। परिणाम अनुसरणीय होंगे।

31 मार्च, 2026

मधु जे०आर०/पी०एस०

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।